मुकदमा संख्या :- 250/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख के जारी हुये
11.03.2024	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। राजपैरोकार नायब तहसीलदार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 06 एक पक्षीये। अप्रार्थी संख्या 07 की तामील बावजूद कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 07 को बार–बार आवाज लगवाई गई। अतः अप्रार्थी संख्या 07 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अप्रार्थी संख्या 08 व 09 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहते है। अतः अप्रार्थी संख्या 08 व 09 का जवाब बंद किया जाता है। उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा किलवा में प्रार्थी के पैतृक संपति की आराजी खेत खसरा संख्या 431 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर के आये हुए है, खसरा संख्या 305 व खसरा संख्या 431/881 की भूमि लम्ब चौरस के आकार में है, जिसका नक्शा **प्रदर्श "अ"** पेश किया गया है, तथा नक्शा **प्रदर्श "अ"** अनुसार मार्क A.B.C.D.पुरी की दूरी प्रार्थी के कब्जा काश्त की है किन्तु द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रार्थी की A.B.C.D. भूमि में से नवसृजित खसरा संख्या 431/881 रकबा 0.04 हैक्टेयर नक्शा से तरमीम कर पिलि लाईन बताकर रकबा 0.04 हैक्टेयर अप्रार्थीगण संख्या 1(अ)(ब) लगायात 6 के खातेदारी में दर्ज कर दी, जिसका नक्शा प्रदेश "ब" पेश किया गया है, जिसमें मार्क **E.F.C.** रकबा 0.04 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थीगण की कभी नहीं थी, उक्त गलत तरीके से आराजी अप्रार्थीगण के खातेदारी में शामिल करने से अप्रार्थीगण उक्त हक आराजी को बैचान करने पर उतारू है, अगर ऐसा हुआ तो प्रार्थी को अपार हानी होगी, जबकि उक्त हक आराजी पर प्रार्थी का आज भी मौके पर काश्त कब्जा होने से सुविधा का संतुलन व प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें। अप्रार्थी राज पैरोकार ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए बहस में बताया की द्वितीय सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा मौके की स्थिति अनुसार रेकॅर्ड तैयार किये गये है, जो विधि अनुसार सही है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें। मैंने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांती अध्ययन व अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। **:– आदेश :–** परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण सं 01 लगायत 09 के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के ताफैसला(निस्तारण) तक जारी की जाती है कि मौजा किलवा के खेत ख. सं. 431/881 रकबा 0.04 है. भूमि के राजस्व रेकॅर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो तथा नम्बर से कम हो। (प्रमोद कुमार) सहायक कलक्टर सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) सांचौर सहायक कलक्टर एवं अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (फास्टट्रेक) सांचौर	

Signature Not Verif
Digitally signed by Pra
Date: 2024.03.21 14:44:
Reason: SelfAttested